उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय वरि.मं.का.अधिकारी
उ.म.रे. इलाहाबाद

पत्र स.– इ मिस/इजी –II/ऐक्ट अप्रैन्टिस/ पार्ट–3/2018
दिनांकः 27.11..2018

विज्ञापन सं–01/2018 (आन लाइन आवेदन)

विषयः वर्ष 2018–19 के लिए उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद मण्डल में यॉत्रिक (कै0 वै0) डिपो तथा विद्युत लोको शेड एवं टी एम एस कानपुर के लिए अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत एक्ट अप्रैन्टिस की ट्रेनिंग कराने के सम्बन्ध में आन लाइन आवेदन ।

....

वर्ष 2018–19 के लिए अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत एक्ट अप्रैन्टिस की ट्रेनिंग कराने हेतु निम्नलिखित विभिन्न ट्रेड में इस नोटिफिकेशन मे दी गई शर्तो के अध्याधीन पात्र अभ्यर्थियों से आन लाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते है:–

संख्या	ट्रेड	सीटो की संख्या							ट्रेनिंग कालावधि (अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अधीन)	विभाग
		सामान्य	ओबीसी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल	पीडब्लूडी			
							ओ एच	एच एच		
1	टैक्नी. कारपेन्टर	5	3	2	1	11	निल	निल	एक वर्ष	यॉत्रिक (कै0 वै0)
2	टैक्नी. फिटर	170	90	50	25	335	3	3	एक वर्ष	यॉत्रिक (कै0 वै0)
3	टैक्नी. पेन्टर (सामान्य)	3	1	1	0	5	निल	निल	एक वर्ष	यॉत्रिक (कै0 वै0)
4	टैक्नी. वेल्डर (गैस एवं इलै.)	6	4	2	1	13	निल	निल	एक वर्ष	यॉत्रिक (कै0 वै0)
5	टैक्नी. आर्मेचर वाइन्डर	23	13	7	4	47	निल	निल	एक वर्ष	विद्युत लोको शेड एवं टीएमएस
06	टैक्नी. कारपेन्टर	3	1	1	0	5	निल	निल	एक वर्ष	विद्युत लोको शेड एवं टीएमएस
07	टैक्नी. क्रेन	4	2	1	1	8	निल	निल	एक वर्ष	विद्युत लोको शेड एवं टीएमएस
08	टैक्नी. फिटर	125	66	37	18	246	2	2	एक वर्ष	विद्युत लोको शेड एवं टीएमएस
09	टैक्नी. मशीनिस्ट	8	4	2	1	15	निल	निल	एक वर्ष	विद्युत लोको शेड एवं टीएमएस
10	टैक्नी. पेन्टर (सामान्य)	3	2	1	1	7	निल	निल	एक वर्ष	विद्युत लोको शेड एवं टीएमएस
11	टैक्नी. वेल्डर (गैस एवं इलै.)	5	2	1	1	9	निल	निल	एक वर्ष	विद्युत लोको शेड एवं टीएमएस
12	टैक्नी. इलेक्ट्रिशियन	1	1	0	0	2	निल	निल	एक वर्ष	विद्युत लोको शेड एवं टीएमएस
योग		356	189	105	53	703	5	5		

*रेलवे बोर्ड के पत्र सं **E(MPP)2002/06/10/**दिनांक 17.06.11 के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 15 % अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 % तथा ओबीसी के लिए 27 % पद आरक्षित हैं। यदि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी निर्धारित मात्रा में नहीं प्राप्त होते है तो बाकि बचे पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जाएगें इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षित अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं तो उनके पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। यदि फिर भी निर्धारित रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं तो शेष बची रिक्तियां अनारक्षित अभ्यर्थी से भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ी जाति के आरक्षित पद के अभ्यर्थी नही प्राप्त होते हैं तो उनके पद सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

** कुल पदों का तीन प्रतिशत पद एक्स सर्विसमैन,उनके बच्चे तथा आर्म्ड फोर्स के व्यक्तियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

अ) भूतपूर्व सैनिकों के जो मृत्यु अथवा अपंग हो चुके हैं या शांति काल में मृत्यु हो चुकी हैं उनके पुत्र/ पुत्री।
ब) भूतपूर्व सैनिको के पुत्र/पुत्री
स) सेवारत सैन्य कर्मियो के पुत्र/पुत्री।
द) सेवारत सैन्य अधिकारियों के पुत्र/पुत्री।
य) भूतपूर्व सैनिक।

*** कुल पदों का तीन प्रतिशत पद विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। यह आरक्षण **loco motor** या **serebral palsy (OH)** के लिए 40% से कम की विकलांगता स्वीकार्य नहीं हैं। श्रवण विकलांगता के अभ्यर्थी जिनकी श्रवण की क्षमता 60 डेसिबल या अधिक हो वह आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जो विकलांग अभ्यर्थी विकलांगता के आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। उसी विकलांगता प्रमाण पत्र पर विचार किया जायेगा जिसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हो।

2- <u>ट्रेनिंग कालावधि एवं ट्रेनिंग स्थल–</u> ट्रेनिंग कालावधि रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 22.07.02 (आर बीई नं. –119/2002) के अनुसार रहेगी। ट्रेनिंग स्थल यॉत्रिक (कै0 वै0) डिपो तथा विद्युत लोको शेड एवं टी एम एस कानपुर रहेगा।

योग्यता

3- <u>आयु सीमा–</u>

अ.) अभ्यर्थी की आयु सीमा दिनांक 30.11.2018 को 15 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए एवं दिनांक 30.11.2018 को 24 वर्ष पूर्ण नहीं होनी चाहिए।

ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो के लिए 05 वर्ष और 03 वर्ष ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा मे छूट हैं।

स) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट हैं।

4- <u>शैक्षणिक योग्यता :</u>
अभ्यर्थी का 50 प्रतिशत अंक के साथ दसवीं कक्षा परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा (10+2 सिस्टम) उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं साथ ही अभ्यर्थी एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में आई टी आई उत्तीर्ण होना चाहिए।

5- <u>वृत्तिकाः–</u> समय समय पर रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार देय हैं।

6- <u>आवेदन पत्र भरने की विधि</u> – अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र उत्तर मध्य रेलवे की बेवसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in में आन लाइन भरेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी **www.ncr.indianrailways.gov.in** पर **log in** कर **news & recruitment** में **Act. Apprentice noticefication ALD Division** पर क्लिक करें। जो पेज क्लिक उपरांत खुलेगा उस पेज में **Act Apprentice notification 2018-19 ALD Division** पर क्लिक करें तथा अपना आवेदन

पत्र आन लाइन भरें। आन लाइन आवेदन पत्र पूर्ण रुप से भरने के पश्चात अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट निकाले तथा इस आन लाइन भरे हुए फार्म प्रिंट आउट के साथ हाई स्कूल का अंक पत्र, सर्टिफिकेट, आई टी आई के सभी सत्रो की मार्क सीट तथा एन सी वी टी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एक लिफाफा में भरकर कार्यालय वरि मण्डल कार्मिक अधिकारी, कार्मिक शाखा/भर्ती सेल, रूम नं.112, इलाहाबाद मण्डल उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद (उ.प्र.),पिन कोड–211001 को भेजें। अभ्यर्थी आन लाइन फार्म के प्रिंट आउट के साथ निम्नलिखित को अवश्य संलग्न करें:–

6.1- आवेदन के साथ नान–रिफण्डेबल प्रोसेसिंग फीस रू0 100 का पोस्टल आर्डर/डीमांड ड्राफ्ट, वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबन्धक, उ0 म0 रेलवे, इलाहाबाद के पक्ष में देय, को संलग्न करें। बिना इसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनु0जन जाति तथा महिला अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रोसेसिंग फीस देय नहीं है ।

6.2- तुरन्त खींची गई पासपोर्ट साईज़ एक फोटोग्राफ आन लाइन आवेदन फार्म के प्रिंट आउट पर निर्धारित स्थान पर चिपकाए। उक्त फोटोग्राफ को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायें।

6.3- अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित सभी मानकों, शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करते हो। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित सभी मानकों, शैक्षणिक योग्ताओं को पूर्ण नहीं करेगा तो प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ऐसे आवेदन को निरस्त कर दें एवं यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु चयनित भी हो जाता हैं और कोई कमी पायी जाती हैं तो बिना किसी सूचना के उसका/उसकी चयन को रद्द कर दिया जायेगा।

7- <u>अंतिम तिथि :</u>

पूर्णतः भरे हुए आन लाइन आवेदन पत्र की प्रिंट के साथ समस्त संलग्नको के साथ दिनांक 31.12.2018 सांय 17:45 बजे तक वरि मण्डल कार्मिक अधिकारी,कार्मिक शाखा/उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद के कार्यालय में साधारण डाक द्वारा प्राप्त हो जाने चाहिए। अभ्यर्थी अपना/अपनी पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र इस कार्यालय के वरि मण्डल कार्मिक अधिकारी,कार्मिक शाखा/भर्ती सेल, इलाहाबाद मण्डल उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद रूम नं.112 के सामने रखे हुए बाक्स में किसी भी कार्यदिवस (दिनांक 31.12.2018 तक ही) में प्रातः 10:00 बजे से 17:45 बजे तक डाल सकते हैं।

8- <u>फार्म भरने हेतु सावधानियां:–</u>

अभ्यर्थी आन लाइन आवेदन करते समय उसके सभी कालम को पूर्ण रुप से भरें। नाम, पिता का नाम तथा माता के नाम पूर्ण रुप से लिखे। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/ अथवा विकलांग की श्रेणी में आते है तो इसके सत्यापित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी एससीवीटी से आई टी आई पास हैं वह आवेदन न करें, इस संबन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार व्यक्ति या संस्थान से किया जाएगा तो उसे इस कार्यालय द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा एवं किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी ,कार्मिक शाखा/भर्ती सेल, कार्यालय किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की देरी या डाक विभाग द्वारा गलत डिलेवरी हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्य को अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से लिखें:–

''वर्ष 2018–19 में अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत यॉत्रिक (कै0 वै0) डिपो तथा विद्युत लोको शेड एवं टी एम एस/ कानपुर, उत्तर मध्य रेलवे के लिए आवेदन''

नोट–विना आनलाइन आवेदन भरे आफ लाइन प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा।

9- <u>चयन प्रक्रिया:–</u>

i- ऐक्ट अप्रैन्टिस की ट्रेनिंग हेतु चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर होगी जो सम्बन्धित विज्ञापन के अधार पर इसके लिए योग्य पाये जायेंगे। इस चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा नहीं ली जायेगी।

ii- अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट का निर्माण मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड/संस्थान द्वारा जारी उसके दसवीं व समकक्ष परीक्षा में कुल अंक के प्राप्तांक तथा एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में आई टी आई के प्राप्तांक के योग के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।

iii- मार्क्स के प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड/संस्थान से दी गई दसवीं अथवा समकक्ष परीक्षा के कुल प्राप्तांक तथा सम्बन्धित ट्रेड में आई टी आई के प्राप्तांक के योग के आधार पर होगी न की कोई विषय अथवा विषय समूह के आधार पर।

iv- .यदि एक से अधिक अभ्यर्थी दसवी अथवा समकक्ष परीक्षा तथा सम्बन्धित ट्रेड में आई टी आई के प्राप्तांक के योग में बराबर प्राप्तांक पाते हैं तो मेरिट का निर्णय उनके जन्मतिथि के आधार पर होगा जिसमें जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी वह दूसरे अभ्यर्थी से उपर होगा।

v- चयन सूची का निर्माण ट्रेड/कम्युनिटी/कैटेगरी की मेरिट के आधार पर होगा।

vi- चयनित अभ्यथियों को दस्तावेज़ सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा।

vii- अधिकृत रेलवे चिकित्साधिकारी द्वारा कैटेगरी की निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में अभ्यर्थी को फिट घोषित करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु पात्र माना जायेगा।

viii- किसी भी प्रकार का दैनिक या यात्रा भत्ता देय नहीं हैं।

ix- चयनित अभ्यर्थी को ट्रेनिंग के दौरान हास्टल/आवासीय सुविधा नही उपलब्ध कराया जाएगा। एक्ट अप्रैन्टिस 1961 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

9.1- एक्ट अप्रैन्टिस 1961 में ट्रेनिंग के पश्चात् रेलवे में रोजगार की कोई गारंटी नहीं हैं।

9.2- एक्ट अप्रैन्टिस 1961 में जो अभ्यर्थी किसी भी संस्थान/संगठन से पहले से ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके हैं वे इस विज्ञापन के अर्न्तगत आवेदन करने के योग्य नही होंगे।

10- प्रशिक्षण के दौरान अनुबन्ध/करार – जिन अभ्यर्थियों को एक्ट अप्रैन्टिस –1961 के अन्तर्गत चयनित किया जाएगा उनको प्रशिक्षण के पूर्व अनुबन्ध पत्र भरकर नियोक्ता को उपलब्ध कराना होगा।

11- ट्रेनिंग सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को महानिदेशक, इम्प्लाईमेंट एण्ड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एण्ड इम्प्लायमेंट,नई दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले ट्रेड टेस्ट को देना होगा एवं उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा परंतु रोज़गार की कोई गारंटी नहीं हैं।

12- अभ्यथियों के चयन एवं ट्रेनिंग के सम्बन्ध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। बाद में यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं पायी जाती तो उसे बिना किसी नोटिस के निष्कासित कर दिया जाएगा।

(एस0 ए0 खॉन)
सहा.का.अधिकारी
उ.म.रे. इलाहाबाद